भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 805

जिसका उत्तर दिनांक 27.07.2023 को दिया जाना है

संयुक्त उद्यम के रूप में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ

805 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम में देश भर में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए चिन्हित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ परामर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) देश में नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दो संयुक्त उद्यम कंपनियां, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल - एनटीपीसी) और एनपीसीआईएल-इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल-आईओसीएल) शामिल की गई हैं।

(ग) तथा (घ) नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने से पहले, विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों से परामर्श किया जाता है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आंकलन के भाग के रूप में) और परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के समय औपचारिक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

* * * * *